



महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATAMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक : रू0वि0 / शैक्षणिक / 2017 / 1556-60

दिनांक : 25.07.2017

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
म0ज्यो0फु0 रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।

विषय : एच0 आई0बी0 ग्रस्त / एड्स पीड़ित बच्चों के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या-147/2014 नाज फाउन्डेशन (इण्डिया) ट्रस्ट बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.05.2017 का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ दिनांक 18 जुलाई, 2017 द्वारा जारी शासनादेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त राजकीय महाविद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों एवं स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत संचालित महाविद्यालयों में तथा सभी विश्वविद्यालयों में एच0 आई0बी0 ग्रस्त / एड्स पीड़ित बच्चों के प्रवेश आदि के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या-147/2014 नाज फाउन्डेशन (इण्डिया) ट्रस्ट बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.05.2017 का अनुपालन कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(अशोक कुमार अरविन्द)
कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 01 निजी सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
- 02 समस्त संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय परिसर।
- 03 परीक्षा नियन्त्रक।
- 04 प्रमुख समन्वयक, प्रवेश प्रकोष्ठ।
- 05 प्रभारी, वेबसाइट।

कुलसचिव